न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 78/18 तारीख रज्जू–03/08/18

1 लक्ष्मण पुत्र औकार जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार।
2 जगन्नाथ पुत्र औकार जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार।
3 रामकोरी पुत्री औकार जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार।

–अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगा पुत्र श्योराम जाति बैरवा नि0 रामबडोदा म0प्र0 हाल निवासी पाली तहसील खण्डार।
2. बद्री पुत्र श्योराम जाति बैरवा नि0 रामबडोदा म0प्र0 हाल निवासी पाली तहसील खण्डार।
3. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 26.7.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम पाली के नामान्तकरण संख्या 994 में पारित निर्णय दिनांक 05/05/93 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार खण्डार ने ग्राम पाली में स्थित अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि का अपीलान्ट के पिता के फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 994 में पारित निर्णय दिनांक 05/05/93 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि ग्राम पाली में औकार की खातेदारी भूमि स्थित थी। जिसके विधिक वारिसान अपीलान्ट 1 लगायत 3 है। धन्नी का विवाह श्योराम मध्य प्रदेश के निवासी से हुआ। श्योराम की पत्नि धन्नी के बजरंगा व बद्री दो पुत्र पैदा हुए। श्योराम के फौत हो जाने पर धन्नी औकार के नाते आ गई। औकार के फौत हो जाने पर लक्ष्मण ,जगन्नाथ व रामकोरी के साथ–साथ बजरंगा व बद्री के नाम भी विरासत नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो गलत है। रेस्पों सं0 1 व 2 का औकार की खातेदारी भूमि में कोई हक नहीं है। उक्त नामान्तकरण के पिछे पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट है। धन्नी बंजरगा से पूर्व ही फौत हो चुकी थी। इस प्रकार धन्नी का हिस्सा गलत दिया गया है। धन्नी के हिस्से में अपीलान्टस् का भी हक निहित है। उक्त नामान्तकरण सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में पेश होना चाहिए था। ग्राम पंचायत में नामान्तकरण पेश नहीं किया जाकर सीधे तहसीलदार द्वारा खोला गया है। अतः नामान्तकरण स्वतः ही निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने निम्न नजीरे पेश की है। आर0आर0डी0 1978 पेज नं0 599 एवं आर0आर0डी0 1978 पेज नं0 573 , आर0आर0डी0 1993 पेज नं0 502, डी0एन0जे0 1999 पेज नं0 133, साथ ही नामान्तकरण सं0 994 में पारित निर्णय दिनांक 05/05/93 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्टस् को औकार की औलाद नहीं होना बताया। बजरंगा ने अपने हिस्से की जमीन बद्री के हक में लगा दी तब से यह विवाद शुरू हुआ है। बद्री को स्कूल में औकार ने पढ़ाया है। राशन कार्ड , पहचान पत्र, आधार कार्ड में बद्री के पिता औकार का नाम अंकित है। बद्री को पेंशन भी मिल रहीं है। नामान्तकरण के पुस्त भाग पर कही भी श्योराम का नाम अंकित नहीं है। उक्त नामान्तकरण मजमें आम में खोला गया है। उक्त नामान्तकरण में ग्राम पंचायत की कोई भूमिका नहीं है।नामान्तकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

ग्राम विकास अभियान में खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही वकील रेस्पोडेंन्टस् ने उक्त नामान्तकरण संख्या 994 में पारित निर्णय दिनांक 05/05/93 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम दस्तावेज के अवलोकन से यह पाया गया कि औकार पुत्र सांवला व उसकी पत्नि धन्नी की मृत्यु के उपरांत औकार के उत्तराधिकारी लक्ष्मण ,जगन्नाथ पुत्रान औकार एवं धन्नी बेवा औकार है। धन्नी का हिस्सा उसके जाइन्दा पुत्र बजंरगा व बद्री के नाम स्वीकार किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार तहसील खण्डार ने विरासत का नामान्तकरण है तथा विरासत का नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05/05/93 को भरा जाकर भू0अभि0 निरीक्षक द्वारा भी दिनांक 05/05/93 को तुलना की गई है। इसके पश्चात् दिनांक 05/05/93 को ही तहसीलदार खण्डार द्वारा ही तस्दीक किया गया है। एक ही दिन में तीनों कार्यवाही जांच उपरान्त संभव प्रतीत नहीं होना पाया जाता है तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम विरासत की जांच ग्राम पंचायत द्वारा की जानी चाहिए तथा उक्त नामान्तकरण को ग्राम पंचायत को तस्दीक करने का अधिकार है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होना पाया जाता है। इसी के साथ बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि बंजरगा व बद्री के पिता का नाम श्योराम है औकार नहीं है तथा बंजरगा तथा बद्री पूर्व के पति से उत्पन्न हुए है तथा गेलड है। इस बात का खण्डन रेस्पों0 अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। यह भी जांच का विषय है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/05/93 नामान्तकरण संख्या 994 वाके ग्राम पाली तहसील खण्डार निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार खण्डार को निर्णय में अंकित तथ्यों के अनुसार पुनः जांच कर नये सिरे से उभय पक्षों को सुनकर नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर